

राजरथान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी का अधिनियम

के क्षेत्राधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम : जल संसाधन विभाग एवं इन्दिरा गांधी नहर विभाग

क्र. सं.	विभागीय गतिविधियां/ सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी *	सहायक पदाभिहित अधिकारी **	प्रथम अपीलीय अधिकारी ***	द्वितीय अपीलीय अधिकारी ****	विशेष टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजकीय खाले/नहरों पर अतिक्रमण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिशारी अभियन्ता	अधिशारी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	
2	नक्का परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिशारी अभियन्ता	अधिशारी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	
3	दिन रात की बारी में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिशारी अभियन्ता	अधिशारी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	
4	खिचाई/भराई सम्बन्धित प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिशारी अभियन्ता	अधिशारी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	

OSD Cell/ Sept.11

शासन उप सचिव
जल संसाधन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर


5	दोषपूर्ण मोचे पटन की शिकायत	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
6	पानी पूरा प्राप्त नहीं होने सम्बन्धी शिकायत	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
7	पानी की बारी का हस्तान्तरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवस में ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
8	बून्द - बून्द सिंचाई में बागों को राज्य नीति के अनुसार पानी की स्वीकृति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह में ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
9	जल उपयोगिता संगमों को (i) सिंचाई शुल्क में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान (ii) नहरों में रखरखाव के कार्यों का भुगतान	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन में । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन में ।	अधिशायी अभियन्ता अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
10	नहर में कटाव सम्बन्धी शिकायतें ।	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे में ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता

OSD Cell/ Sept.11

भासन उप सचिव
जल संसाधन विभाग
भासन सचिवालय, जमशुद

11	पानी चोरी सम्बन्धी शिकायत	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के अन्दर ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
12	स्वीकृत कमाण्ड क्षेत्र में पानी की बारी बांधना व पर्यी जारी करना ।	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 3 दिन के अन्दर ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
13	राजकीय निर्देशानुसार सिचाई की स्थायी पर्यीया जारी करना	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे में ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
14	नया फील्ड चैनल की स्वीकृति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
15	वाटर कोर्स के एलाइमेंट में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में ।	अधिशायी अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पद स्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता

- * आवेदन पत्र लेने एवं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी
- ** सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी की सहायता हेतु अधिकारी
- *** निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदान नहीं कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध सुनवाई करने वाला अधिकारी ।
- **** प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करने वाला अधिकारी



OSD Ccl/ Sept.11

वासन उप सचिव
जल संसाधन विभाग
वासन सचिवालय, जयपुर